कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव

जिला—कोंडागांव (छ.ग.)

Tel. / Fax 07786-242303 E-mail: southfedkgn@yahoo.co.in

क्रमांक/मा.चि./12662 कोंडागांव, दिनांक : 11/09/2017

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
400 के.व्ही. लाईन (निर्माण) संभाग,
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित
एकता नगर, ठेल्कबोड़ कांकेर छत्तीसगढ़

विषयः— ***Diversion of Forest Land For Non-Forest Purpose under forest Conservation act, 1980 Proposal for Constn. of 132 KV Kondagaon - Narayanpur Transmission Line Area - 37.874 ha. regarding.***
—आनलाईन पंजीयन क्रमांक— ***FP/CG/TRANS/22922/2016.***

संदर्भः— 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक/FC-II/CH-63/2017-NGP/2007, दिनांक 03/07/2017.

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/भू—प्रबंध/विद्युत/479—157/2222, दिनांक 17/07/2017 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./12369, दिनांक 28/08/2017.

3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/भू—प्रबंध/विद्युत/479—157/2757, दिनांक 08/09/2017.

संदर्भित पत्र क्रमांक—3 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू—प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार रायता—जगदलपुर 400 के.व्ही. विद्युत लाईन परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अधिक राशि कैम्पा खाता में जमा कराया गया था, जिसे इस परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण में राशि 1,64,45,506/—रूपये को कम करते हुये निम्नानुसार संशोधित मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है :—

1. <u>**अधिरोपित शर्त क्रमांक— II के अनुसार**</u> क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु नारायणपुर वनमंडल के बेनुर परिक्षेत्र में स्थित वन भूमि कक्ष पी—2315 ई, रकबा 10.00 हेक्टेयर एवं पी—2319, रकबा 66.00 हेक्टेयर कुल रकबा 76.00 हेक्टेयर वन भूमि में वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर वनमंडल, नारायणपुर के पत्र क्रमांक/मा.चि./5444, दिनांक 05/08/2017 द्वारा दिये गये गणना अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2017—18 द्वारा जारी नवीन दर प्रति हेक्टेयर 600222/— के अनुसार 76.00 हेक्टेयरx600222/—रूपयें = 45616872/— राशि होता है। जिसमें से 16445506/—रायता—जगदलपुर 400 के.व्ही. विद्युत लाईन परियोजना के तहत् कैम्पा खाता में पूर्व में जमा किया गया है। शेष राशि **2,91,71,366/—रूपयें जमा करना होगा।**

2. <u>**अधिरोपित शर्त क्रमांक— V के अनुसार**</u> व्यपवर्तित की जानी वाली 37.874 हे. वन भूमि के लिये शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) की राशि वनों का इको—क्लास के आधार पर वनमंडलवार निम्नानुसार है :—

अ.क्र.	वनमंडल का नाम	प्रस्तावित रकबा (हे.में)	वनों का इक्को—क्लास	वनों का घनत्व	वन का प्रकार	प्रत्याशा मूल्य की दर प्रति हे. में	शर्त क्रमांक—VI प्रत्याशा मूल्य की राशि
01	नारायणपुर वनमंडल	5.118	I	बहुत सघन	संरक्षित वन भूमि	10,43,000	5338074
		5.129	I	खुला वन	राजस्व वन भूमि	7,30,000	3744170
	योग :	**10.247**					**9082244**
02	दक्षिण कोंडागांव	2.153	I	बहुत सघन	संरक्षित वन भूमि	10,43,000	2245579
		3.467	I	सघन वन	—"—	9,39,000	3255513
		22.007	I	खुला वन	राजस्व वन भूमि	7,30,000	16065110
	योग :	**27.627**					**21566202**
	कुलयोग :	**37.874**					**30648446**

क्रमशः2...

वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा करें।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

4. **अधिरोपित शर्त क्रमांक– XXI (D) के अनुसार** ट्रान्समिशन लाईन के नीचे बौनी प्रजाति के औषधीय वृक्षारोपण हेतु उपयोगकर्ता वर्तमान दर अनुसार औषधीय वृक्षारोपण की लागत की राशि वन विभाग में जमा करना होगा। अ.प्र.मु.व. सं. (विकास/योजना) छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक/वि.यो./बजट/1426, दिनांक 26/05/2017 द्वारा अनुमोदित दर अनुसार विवरण :–

अ.क्र.	वनमंडल का नाम	औषधीय पौधो का वृक्षारोपण हेतु रकबा हेक्टेयर में	औषधीय पौधों का वृक्षारोपण हेतु राशि दर हेक्टेयर में	औषधीय पौधों का वृक्षारोपण हेतु कुल राशि
1	नारायणपुर वनमंडल	2.751	602923.87	1658644
			1019 r.m. x Fencing 405598	413304
		योग :		2071948
2	दक्षिण कोंडागांव, वनमंडल	5.620	602923.87	3388433
			2081 r.m.x Fencing 405598	844049
		योग :		4232482
		कुलयोग :		6304430

अधिरोपित शर्त क्रमांक– XXII के पूर्ति हेतु पक्षीयों के रहवास के लिये अतिरिक्त मुख्य अभियंता, (निर्माण एवं लाईन संधारण) वृत्त, सी.एस.पी.टी.सी.एल. रायपुर के पत्र क्रमांक/..., दिनांक 06/09/2017 द्वारा बिलासपुर विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से कोंडागांव–नारायणपुर 132 के.व्ही. विद्युत लाईन परियोजना में प्रभावित क्षेत्रों में पक्षियों की रहवास के लिये प्रेषित परियोजना के आधार पर एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षण, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर के कार्यालय से प्राप्त दूरभाष दिनांक 11/09/2017 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार परियोजनानुसार कुल राशि 10,43,020/–(रू. दस लाख तिरालिस हजार बीस)

इस प्रकार क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण, प्रत्याशा मूल्य (NPV), औषधीय वृक्षारोपण एवं पक्षियों के रहवास हेतु कुल राशि निम्नानुसार आवेदक विभाग को जमा किया जाना है :–

01	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि	29171366
02	प्रत्याशा मूल्य की राशि	30648446
03	औषधीय वृक्षारोपण की राशि	6304430
04	पक्षियों की रहवास हेतु राशि	1043020
	योग :	67167262

अतः उपरोक्तानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, प्रत्याशा मूल्य (NPV), औषधीय वृक्षारोपण एवं पक्षियों के रहवास हेतु कुल राशि 6,71,67,262/–(रू. छः करोड़ इकहत्तर लाख सड़सठ हजार दो सौ बासठ) मात्र को ई–चालान उत्पन्न कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर के अनुमोदन उपरांत कैम्पा खाता में जमा कर सत्यापित पावित एवं शासन द्वारा जारी अधिरोपित शर्तो का पालन हेतु वचन पत्र पृथक–पृथक 04–04 प्रतियों में तैयार कर शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करने करने का कष्ट करें।

वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

वनमंडलाधिकारी
एवं नोडल अधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव

क्रमशः 3...

Scanned by CamScanner

//3//

पृ.क्रमांक/मा.चि./12663 कोंडागांव, दिनांक : 11/09/2017

प्रतिलिपि :

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर संदर्भित पत्र क्रमांक–3 के परिपालन में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर की ओर इस कार्यालय के पृ. क्रमांक/मा.चि./12370, दिनांक 28/08/2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, (निर्माण एवं लाईन संधारण) वृत्त, सी.एस.पी.टी.सी.एल. रायपुर की ओर आपके पत्र क्रमांक/......, दिनांक 06/09/2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर वनमंडल, नारायणपुर की ओर इस कार्यालय के पृ. क्रमांक/मा.चि. /12370, दिनांक 28/08/2017 के संदर्भ मसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
एवं नोडल अधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेड़िकल कॉलेज रोड़, रायपुर
(प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2552233
ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू–प्रबंध/विद्युत/479–157/2757 रायपुर, दिनांक 08/09/2017

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
दक्षिण कोण्डागॉव वन मंडल, कोण्डागॉव (नोडल)
छत्तीसगढ़

विषय: – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for construction of 132 KV Kondagaon - Narayanpur Transmission Line Area - 37.874 ha. - regarding.**
– **पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Trans/ 22922 / 2016**

संदर्भः 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर का पत्र F.No. FC-III/CH-63/2017-NGP/2050 दिनांक 04.07.2017
2. वन मंडलाधिकारी, कोण्डागॉव वन मंडल का पत्र क्रमांक/ मा. चि/ 12370 दिनांक 28.08.2017

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र–1 द्वारा जारी प्रथम चरण स्वीकृति उपरांत आपके द्वारा आवेदक एजेंसी को संदर्भ–2 द्वारा कैम्पा मद में जमा करने हेतु 8,25,69,748/– रू. का डिमाण्ड नोट जारी किया है।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विद्युत/479–111/974 दिनांक 13.04.2015 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है। पत्र के बिन्दु–5 अनुसार राशि रू. 1,64,45,506/– की राशि को कम करते हुए नया डिमाण्ड नोट जारी करें। साथ ही शर्त क्रमांक (xxii) की पूर्ति हेतु प्रस्तुत परियोजना के अनुसार क्रियान्वयन हेतु भी वचन पत्र लेते हुए राशि डिमांड नोट में शामिल किया जाये।

संलग्नः– (i) पत्र दिनांक 13.04.2015 की छाया प्रति
(ii) आवेदक संस्थान का पत्र दिनांक 28.08.2017 की छाया प्रति

(हस्ताक्षर) 8/9
(एस.एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विद्युत/479–157/2758 रायपुर, दिनांक 08/09/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. ~~**मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।~~
2. **वन मंडलाधिकारी**, नारायणपुर वन मंडल, नारायणपुर, छत्तीसगढ़।
3. **कार्यपालन अभियंता** (सिविल), 400 के. व्ही लाईन (निर्माण), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित कांकेर, छत्तीसगढ़ को उनके पत्र क्रमांक/का.यं./400 के.व्ही.ला.–नि/367 दिनांक 28.08.2017 के संदर्भ मे सूचनार्थ।

"वर्तमान में किसी भी वन क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

(हस्ताक्षर) 8/9
अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

Scanned by CamScanner